IN THE COURT OF DEPUTY COMMISSIONER, LOHARDAGA

Schedule XIV-Form No :- 562

District Mining Officer,
Lohardaga
VS
Unknown

ORDER-SHEET

(See Rule 129 of the Record Manual 1941)

Order Sheet dated from :- .... To..........................

Case No :- 14 /2023- 24

Nature of the Case :- Confiscation Case

आदेश की क्रम सं0 और तरीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	*2*	*3*
23/7/24	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित यह अधिग्रहण वाद संख्या 14/2023–24 जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा के पत्रांक 170/एम0 दिनांक 02.03.2024 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन जिसमें मौजा जमुरा डहर कोयल नदी पुल के पास श्री मोतलिब अंसारी के भूमि में अवैध रूप से भण्डारित/संग्रहित बालू 9500 घन फीट को राज–सात करने हेतु प्रस्ताव पर प्रारंभ किया गया। प्रस्ताव के आलोक में The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining Transportation & Storage) Rule 2017 के नियम 11 (V) के तहत अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ की गयी तथा जप्त बालू को नष्ट होने से बचाने के उदेश्य से एक जांच दल का गठन दिनांक 11.03.2024 को किया गया। कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा के ज्ञापांक 237 दिनांक 28.06.2024 द्वारा प्राप्त हुआ जो अभिलेख में संलग्न है। देखा। अधिग्रहण वाद की कार्रवाही में अबतक किसी द्वितीय पत्र की ओर से दावा /आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। साथ–ही स्थल जांच के कम में स्थल पर 9000 (नौ हजार) घन फीट बालू ही पायी गयी। अतः मौजा जमुरा डहर कोयल नदी पुल के पास श्री मोतलिब अंसारी के भूमि में अवैध भण्डारित 9000.00 (नौ हजार) घन फीट बालू को The JharkhandMinerals (Prevention of illegal Mining Transportation & Storage) Rule 2017 के नियम 11 (V) के तहत राज्य–सात किया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा को आदेश दिया जाता है जप्त बालू को विधिवत् निलामी करवा कर प्राप्त राशि को सरकारी खजाना में जमा करवाकर चलान की प्रति के साथ सूचित करें। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा को भेजी जाय। लेखापित एवं शुद्धिकृत। उपायुक्त, लोहरदगा। उपायुक्त, लोहरदगा।	

Digitally signed by Waghmare Prasad Krishna
Date: 2024.09.05 15:41:59 +05:30
Location: 192.168.29.123

Scanned with OKEN Scanner